न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2025-18RAAJodhpur2025-09RTA225 nathmal ors Vs Mohanram etc

01. नथमल पुत्र श्री भंवरलाल
02. माणकचंद पुत्र श्री भंवरलाल
03. भीवंराज पुत्र श्री भंवरलाल
04. ओमप्रकाश पुत्र श्री भंवरलाल
    सभी जातियान् महाजन, निवासीगण– गली नंबर 06,
    शिव–शक्ति नगर, तीसरी पोल के बाहर, महामंदिर जोधपुर।
05. नेमीचंद पुत्र श्री भंवरलाल, जाति महाजन, निवासी– रूड़कली,
    तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. मोहनराम पुत्र श्री केशाराम, जाति मेघवाल, निवासी– ग्राम रूड़कली, तहसील व जिला जोधपुर।
2. लीलादेवी पुत्री श्री भंवरलाल, पत्नी श्री तनसुखचंद लुणावत, निवासी– पुलिस थाना के सामने, अशोक नगर, महामंदिर जोधपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2024 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दक्षिण, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2024 मोहनराम बनाम नथमल इत्यादि

उपस्थित–
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री सत्यदेवसिंह चारण, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 3

नि र्ण य

दिनांक : 27 मार्च 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दक्षिण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2024 मोहनराम बनाम नथमल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 09 जनवरी 2025 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 270 रकबा 09.17 बीघा ग्राम रूड़कली तहसील जोधपुर में आने–जाने हेतु अपीलांट्स के खातेदारी खसरा नं. 275 में से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार ए.बी.सी.डी. 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2023 के जरिये प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना केवल रजिस्टर्ड ए.डी रसीदात के आधार पर अपीलांट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयारी के वक्त अपीलांट्स को सूचित ही नही किया गया तथा उनकी अनुपस्थिति में मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों की जांच किये बिना केवल वांछित रास्ते की रिपोर्ट तैयार कर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश कर दी। रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर दो वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध है। प्रथम रास्ता खसरा नंबर 269 में से उपलब्ध है जो अपीलाधीन रास्ते से भी लघुतम एवं निकटतम है। रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु खसरा नंबर 273 की सीमा के सहारे चलने वाला रास्ता भी लघुतम एवं निकटतम है। विचारण न्यायालय द्वारा रास्ते के सभी विकल्पों की जांच किये बिना तथा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन रास्ते का आदेश धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के विपरीत पारित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से अपीलांट्स को समय पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 31.12.2024 को भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा रास्ते की प्रतिकर राशि का चैक दिये जाने पर रास्ते के आदेश की जानकारी हुई। तब अपीलांट्स द्वारा दिनांक 03.01.2025 को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर संपूर्ण जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट्स को कोई जानकारी नहीं थी।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को को खारिज फरमाया जावे एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार जोधपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत रास्ता दिया गया है। रेस्पो. अपनी उक्त खसरान् की भूमि में आवागमन अपीलाधीन रास्ते से ही करते है। मौका फर्द में भी अपीलाधीन रास्ते को लघुतम रास्ता बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका फर्द के आधार पर विधिसम्मत रास्ता प्रदान किया है। अतःप्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों एवं परिस्थितियों अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा सिंविल प्रक्रिया संहिता में विहित प्रावधानों अनुसार अपीलांट्स पर सम्मनो की सम्यक तामील करवाये बिना केवल डाक विभाग की पोस्टल रसीदात के आधार पर अपीलांट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की समय पर जानकारी नहीं होना लाजमी है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम न्याय हित में स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर मौका फर्द दिनांक 14.10.2024 के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर अपीलाधीन रास्ते के बजाय खसरा नंबर 269 में से लघुतम रास्ता प्रतीत होता है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा खसरा नंबर 269 के खातेदारों को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर उपलब्ध सभी रास्ते के विकल्पों की जांच किये बिना अपीलाधीन रास्ते का आदेश पारित किया है, जिससे भूमि का अधिक रकबा रास्ते के रूप में व्यर्थ होगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के विपरीत होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दक्षिण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2024 मोहनराम बनाम नथमल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को अपास्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों की उभय पक्ष की उपस्थिति में जांच कर तथा आवश्यकता होने पर हितबद्ध खातेदारान् को प्रकरण में पक्षकार संयोजित करते हुए तथा उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निकटतम रास्ते का आदेश पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर